छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी–3, सी 244–245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 02/02/17

क्रमांक 51 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिये संचालित मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है:–

(अ) **योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना"** होगा।

(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हेलमेट, जूता, दास्ताना, सेफ्टी जैकेट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रूपये 1,500/– जो भी कम हो, हितग्राही द्वारा उक्त सामग्री स्वयं के व्यय से क्रय पश्चात् देयक सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(iii) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ एक बार प्रदाय किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) **योजना हेतु पात्रता :–**

(i) योजना के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी।

(ii) हितग्राही पंजीयन के 90 दिन पश्चात् लाभ लेने हेतु पात्र होगे ।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया–

(i) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

(ii) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(iv) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय, का नंबर, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(v) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा ।

(द) स्वीकृति का अधिकार–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृती की जावेगी ।

(ई) विसंगति का निराकरण–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

2/2/2017

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृष्ठाकन क्र........2226 – 2236 रायपुर, दिनांक 02/02/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
5. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
9. लेखा शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
10. एन आई सी शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2/2/2017

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल